

### अध्याय III: निगम कर से संबंधित निर्धारणों का विश्लेषण

#### 3.1 प्रस्तावना

3.1.1 अध्याय III में मंत्रालय को जुलाई और नवम्बर 2013 के बीच जारी ₹ 2,193.75 करोड़ (₹ 2031.69 करोड़ के कम प्रभार के 304 मामले और ₹ 162.06 करोड़ के अतिप्रभार<sup>27</sup> वाले 28 मामले) के कर प्रभाव के साथ निगम कर से संबंधित उच्च मूल्य के 332 मामलों पर चर्चा की गई है। तालिका 3.1 में त्रुटियों की व्यापक श्रेणियों और उनके कर प्रभाव का विवरण दर्शाया गया है:

तालिका सं. 3.1: त्रुटियों की श्रेणी और कर प्रभाव		(₹ करोड़ में)	
श्रेणी	मामले	कर प्रभाव	
क. निर्धारणों की गुणवत्ता	122	774.41	
ख. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	146	1,005.48	
ग. चूकों के कारण निर्धारणों से छूटी आय	36	251.80	
घ. कर/ब्याज का अतिप्रभार	28	162.06	
<b>जोड़</b>	<b>332</b>	<b>2,193.75</b>	

3.1.2 प्रत्येक व्यापक श्रेणी के अन्तर्गत, हम समान प्रकृति की गलतियों को उजागर करने के उद्देश्य से उप-श्रेणी दर्शाते हैं। प्रत्येक उप-श्रेणी अधिनियम के प्रावधानों का हलावा देते हुए एक प्रस्तावना के साथ शुरू होती है, बाद में महत्वपूर्ण मामले(लों) का वर्णन किया जाता है।

#### 3.2 निर्धारणों की गुणवत्ता

3.2.1 निर्धारण अधिकारियों ने अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद निर्धारणों में त्रुटियाँ की। गलत निर्धारणों के इन मामलों से आयकर विभाग में आन्तरिक नियंत्रणों में कमियों का पता चलता है जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। तालिका 3.2 उन त्रुटियों की उप-श्रेणी दर्शाती है जिनसे निर्धारणों की गुणवत्ता प्रभावित हुई।

27 सही आँकड़े अपनाने में त्रुटियों, आय की गणना में अंकगणितीय त्रुटियों, कर/ब्याज इत्यादि में गलत दरें लगाने के कारण अतिप्रभार लगाया गया।

तालिका 3.2: निर्धारण की गुणवन्ता में त्रुटियों का विवरण				(₹ करोड़ में)
उप श्रेणी	मामले	कर प्रभाव	राज्य	
क. आय और कर की सं. गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ	61	585.88	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल	
ख. ब्याज के उदग्रहण में गलतियाँ	34	57.81	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल	
ग. अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदायों पर ब्याज	10	37.35	दिल्ली, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल	
घ. कर और अधिभार लगाने में गलत दर का प्रयोग	7	9.40	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल	
ड. अपीलिय आदेश का पालन करते समय निर्धारणों में गलतियाँ	10	83.97	गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तराखण्ड	
<b>जोड़</b>	<b>122</b>	<b>774.41</b>		

### 3.2.2 आय और कर की संगणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ

हम ऐसे पाँच निदर्शी मामलें नीचे दे रहे हैं:

धारा 143(3) निर्धारण अधिकारियों द्वारा आय का सही तरीके से मूल्यांकन और निर्धारण करने का प्रावधान करती है। विभिन्न प्रकार के दावों और लेखाओं, रिकार्डों और विवरणों के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों के निर्धारण की संवीक्षा निर्धारणों में विस्तृत रूप से जाँच की जानी अपेक्षित है। सीबीडीटी ने भी इस संबंध में समय समय पर अनुदेश जारी किए हैं।

**3.2.2.1** सीआईटी-V प्रभार, दिल्ली में, निर्धारण वर्ष (नि.व.) 2009-10 के लिए **एनटीपीसी लिमिटेड** का निर्धारण पूरा करते समय एओ ने दिसम्बर 2011 में ₹ 6462.11 करोड़ की आय पर संवीक्षा के बाद 'वेतन संशोधन हेतु प्रावधान' के कारण ₹ 534.20 करोड़ की कटौती को अस्वीकृत किया परन्तु इसे ₹ 5.34 करोड़ के रूप में स्वीकार किया। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 528.86 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 179.75 करोड़ के कर का कम उदग्रहण अन्तर्ग्रस्त था।

**3.2.2.2** सीआईटी-I कोल्हापुर प्रभार, महाराष्ट्र में एओ ने दिसम्बर 2009 में शून्य आय पर संवीक्षा के बाद नि.व. 2007-08 हेतु **दी सागँली बैंक लिमिटेड**

का निर्धारण पूरा किया एवं ₹ 388.37 करोड़ के व्यापार घाटे तथा अनावशोषित मूल्यहास को अग्रणीत करने की अनुमति दी। कर की गणना करते समय, एओ ने ₹ 129.15 करोड़ के सही आंकड़े के स्थान पर व्यापार घाटे तथा अनावशोषित मूल्यहास की राशि को गलती से ₹ 388.37 करोड़ अपनाया, जो निर्धारिती द्वारा फाइल की गई आय की विवरणी में दर्शायी गई थी। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 259.22 करोड़ के व्यापार घाटे तथा अनावशोषित मूल्यहास का गलत अग्रणयन हुआ जिसमें ₹ 87.25 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। आईटीडी ने धारा 154 के तहत गलती को संशोधित किया (मार्च 2012)।

**3.2.2.3** सीआईटी-VII मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, दिसम्बर 2009 में ₹ 75.43 करोड़ के घाटे पर संवीक्षा के पश्चात् नि.व. 2007-08 के लिए **टाटा टेली सर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड** के निर्धारण को पूरा करते समय एओ ने अग्रणीत हानियों का समंजन करने से पहले ₹ 100.05 करोड़ की व्यापार आय को गलत रूप से कारबार हानि के रूप में अपनाया तथा ₹ 24.62 करोड़ अननुमत किये परन्तु इसे वापस व्यापार आय में नहीं जोड़ा। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 124.67 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 67.35 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल था। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा धारा 154/155 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की (मार्च 2013)।

**3.2.2.4** सीआईटी-VII मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, अक्टूबर 2011 में ₹ 162.27 करोड़ की आय पर संवीक्षा के पश्चात् नि.व. 2007-08 हेतु **सीमेन्स इन्फोर्मेशन सिस्टम लिमिटेड** के मामले में करयोग्य आय की गणना करते समय एओ ने धारा 10ए के तहत ₹ 140.01 करोड़ की कटौती अननुमत की परन्तु इसे ₹ 14.01 करोड़ अपनाया। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 126 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 65.74 करोड़ के कर का कम उदग्रहण शामिल था। आईटीडी ने गलती स्वीकार की एवं धारा 154 के तहत गलती में संशोधन (सितम्बर 2012) किया।

**3.2.2.5** सीआईटी-॥ बडोदा प्रभार, गुजरात में, दिसम्बर 2010 में ₹ 2.59 करोड़ के घाटे पर संवीक्षा के पश्चात् नि.व. 2008-09 हेतु **उत्तर गुजरात बिज कम्पनी लिमिटेड** का निर्धारण पूरा करते समय ऐओ ने ₹ 11.96 करोड़ की घनात्मक आय को (-) ₹ 11.96 करोड़ अपनाया और ₹ 9.37 करोड़ वापस जोड़े। घनात्मक आय को नकारात्मक आय के रूप में गलत अपनाने के परिणामस्वरूप ₹ 21.33 करोड़ तक आय का कम निर्धारण तथा ₹ 2.59 करोड़ की हानि का अधिक निर्धारण हुआ जिसमें ₹9.65 करोड़ का घनात्मक कर प्रभाव तथा ₹ 0.88 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल था। आईटीडी ने धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्यवाही की (मार्च 2013)।

### **3.2.3 ब्याज के उदग्रहण में त्रुटियाँ**

हम पाँच निदर्शी मामले नीचे दे रहे हैं:

अधिनियम में सरकार द्वारा निर्धारितियों द्वारा की गई विभिन्न चूकों के लिए समय समय पर निर्धारित दरों पर ब्याज लगाने का प्रावधान है।

**3.2.3.1** सीआईटी-॥ (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान) प्रभार, दिल्ली में, एओ ने अक्टूबर 2011 में ₹ 1,043.75 करोड़ की आय पर संवीक्षा के पश्चात् नि. व. 2007-08 हेतु **एरिक्सन रेडियो सिस्टम एबी** के मामले में कर माँग की गणना करते समय धारा 234बी के तहत ₹ 92.16 करोड़ की सही राशि के स्थान पर गलती से ₹ 87.0 करोड़ के ब्याज का उदग्रहण किया। इस गलती के परिणामस्वरूप 5.16 करोड़ के ब्याज का कम उदग्रहण हुआ। आईटीडी ने धारा 154 के तहत गलती का संशोधन (दिसम्बर 2012) किया।

**3.2.3.2** सीआईटी-॥ इन्दौर प्रभार, मध्य प्रदेश में, नि.व. 2003-04 से नि.व. 2009-10 के लिए क्रमशः ₹ 3.05 करोड़, ₹ 4.85 करोड़, ₹ 6.53 करोड़, ₹ 15.22 करोड़, ₹ 35.22 करोड़, ₹ 39.76 करोड़ तथा ₹ 93.03 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2010 में धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153ए के तहत **जूम डेवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड** का तलाशी निर्धारण पूरा करते समय एओ ने विवणियों को फाइल करने में ग्यारह महीने के विलम्ब के लिए धारा 153ए के तहत जारी किए गए नोटिस की प्रतिक्रिया में धारा 234ए के तहत ब्याज का उदग्रहण नहीं किया। गलती के परिणामस्वरूप धारा 234ए के तहत ₹ 4.56 के ब्याज का उदग्रहण नहीं हुआ। आईटीडी ने धारा 154 के तहत गलती का संशोधन किया (दिसम्बर 2012)।

**3.2.3.3** डीआईटी-I (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान) प्रभार, दिल्ली में, सितम्बर 2011 में ₹ 339.17 करोड़ की आय पर संवीक्षा के पश्चात् नि. व. 2008-09 हेतु **हुवई टेक्नोलॉजीज कम्पनी लिमिटेड** के मामले में कर माँग की गणना करते समय एओ ने धारा 234बी के तहत ₹ 8.47 करोड़ की सही राशि के स्थान पर ₹ 4.23 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण किया। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 4.24 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। *आईटीडी ने धारा 154 के तहत गलती में संशोधन (सितम्बर 2012) किया।*

**3.2.3.4** सीआईटी-IV मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, फरवरी 2012 में ₹ 397.83 करोड़ की आय पर धारा 144सी के साथ पठित संवीक्षा के पश्चात् नि. व. 2008-09 के लिए **सीएलएसए इण्डिया लिमिटेड** के मामले में कर माँग की गणना करते समय एओ ने धारा 234बी के तहत अप्रैल 2008 से फरवरी 2012 तक की अवधि के लिए ₹ 6.49 करोड़ की सही राशि के स्थान पर अप्रैल 2008 से अगस्त 2009 तक की अवधि के लिए ₹ 2.88 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण किया। इस गलती के परिणामस्वरूप धारा 234बी के अन्तर्गत ₹ 3.62 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। आईटीडी ने गलती स्वीकार की एवं धारा 154 के तहत गलती संशोधित की (मई 2012)।

**3.2.3.5** सीआईटी-एलटीयू चेन्नई प्रभार, तमिलनाडु में, फरवरी 2012 में नि.व. 2008-09 के लिए ₹ 73.32 करोड़ की आय पर (दिसम्बर 2011 में संवीक्षा के पश्चात् मूल रूप से में ₹ 74.75 करोड़ की आय पर निर्धारित की गई) **चोलामण्डल एमएस जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड** का संशोधित निर्धारण पूरा करते समय एओ ने धारा 234बी के तहत अप्रैल 2008 से दिसम्बर 2011 तक की अवधि के लिए उद्ग्रहणीय ₹ 9.11 करोड़ के स्थान पर अप्रैल 2009 से दिसम्बर 2011 तक की अवधि के लिए ₹ 6.68 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण किया। गलती के परिणामस्वरूप धारा 234बी के तहत ₹ 2.43 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। आईटीडी ने धारा 154 के तहत गलती को संशोधित किया (अक्टूबर 2012)।

### 3.2.4 अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदायों पर ब्याज

हम ऐसे दो निदर्शी मामले सोदाहरण नीचे दे रहे हैं:

यदि निर्धारिती को अधिक प्रतिदाय किया गया है तो धारा 234डी प्रतिदाय पर ब्याज के उद्ग्रहण के लिए प्रावधान करती है।

**3.2.4.1** सीआईटी कोच्ची प्रभार, केरल में, एओ ने नि.व. 2009-10 के लिए दिसम्बर 2011 में ₹ 1,101,62 करोड़ की आय पर संवीक्षा के पश्चात् **दी फेडरल बैंक लिमिटेड** का निर्धारण पूरा करते समय, नवम्बर 2010 से दिसम्बर 2011 तक की अवधि के लिए ₹ 180.87 करोड़ के अधिक प्रतिदाय पर ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया। गलती के परिणामस्वरूप धारा 234डी के तहत ₹ 12.66 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं हुआ। आईटीडी ने गलती स्वीकार (जनवरी 2013) की एवं सुधारात्मक कार्यवाही प्रारंभ की।

**3.2.4.2** सीआईटी-III मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, एओ ने नि.व. 2002-03 हेतु **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड** के मामले में अपीलीय आदेश को लागू करते समय 31 मार्च 2003 से 25 फरवरी 2005 तक की अवधि के लिए ₹ 85.45 करोड़ के अधिक प्रतिदाय पर ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया गया। गलती के परिणामस्वरूप धारा 234डी के तहत ₹ 11.64 करोड़ के ब्याज उद्ग्रहण नहीं हुआ। आईटीडी ने गलती स्वीकार की तथा धारा 154 के तहत गलती को संशोधित किया (फरवरी 2013)।

### 3.2.5 अपीलीय आदेशों का पालन करते समय निर्धारण में त्रुटियाँ

हम ऐसे दो निदर्शी मामले नीचे दे रहे हैं:

धारा 254 के अन्तर्गत एक व्यथित निर्धारिती निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध सीआईटी (अपील) को अपील कर सकता है, तो वह अपीलीय आदेश में दिए गए निर्देशों का अनुपालन करेगा। इसके अतिरिक्त, तथ्य और विधि के प्रश्न पर भी आईटीडी को अपील की अनुमति दी जाती है। एक अपीलीय आदेश के कार्यान्वयन में किसी भी गलती के परिणामस्वरूप आय का कम निर्धारण/अधिक निर्धारण हो सकता है।

**3.2.5.1** सीआईटी एलटीयू मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, एओ ने नि.व. 2008-09 हेतु **इन्डस्ट्रियल डेवेलोपमेंट बैंक ऑफ इण्डिया लिमिटेड** के मामले में फरवरी 2012 में अपीलीय आदेश को लागू करते समय बही लाभ की संगणना में निवेश पर मूल्यहास, गैर निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों तथा मानक परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधानों से संबंधित ₹ 538.61 करोड़ को वापस नहीं जोड़ा था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 538.61 करोड़ तक बही लाभ का कम

निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 61.02 करोड़ के कर का कम उदग्रहण शामिल था। आईटीडी ने गलती के संशोधन हेतु धारा 148 के तहत नोटिस जारी किया (मार्च 2013)।

**3.2.5.2** सीआईटी II-मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में नि.व. 2009-10 (दिसम्बर 2011 में पूरे हुए संवीक्षा निर्धारण के तहत मूलरूप से ₹ 5,060.94 करोड़ पर निर्धारण किया गया) हेतु एचडी एफसी बैंक लिमिटेड के मामले में फरवरी 2012 में अपीलीय आदेश को लागू करते समय एओ ने अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के प्रति ₹ 1,696.74 करोड़ की कटौती की स्वीकृति के पश्चात् कर योग्य आय ₹ 3,137.02 करोड़ कम कर दी। फरवरी 2013 में अपीलीय आदेश को लागू करते हुए आदेश में संशोधनकरते समय, एओ ने नि.व. 2009-10 हेतु उपरोक्त कटौती की गणना करते समय निर्धारिती द्वारा माने गए ₹ 222.89 करोड़ के प्रति संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के कारण ₹ 246.24 करोड़ के कटौती की स्वीकृति दी। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 23.35 करोड़ तक आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 7.92 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। आईटीडी ने धारा 154 के तहत गलती स्वीकार की एवं संशोधित की (मार्च 2013)।

### 3.3 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन

**3.3.1** अधिनियम में अध्याय VI-ए के अन्तर्गत और इसके सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत व्यय के कुछ वर्गों के लिए निर्धारिती को कुल आय की संगणना में रियायतें/छूटें/कटौतियाँ अनुमत की गई हैं। हमने पाया कि निर्धारण अधिकारियों ने उन लाभार्थियों को अनियमित रूप से कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के लाभ दिए थे जो इनके हकदार नहीं थे। ये मामले आईटीडी की ओर से कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रशासन में कमजोरियों के बारे में बताता है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तालिका 3.3 उप-श्रेणियों को दर्शाता है जिससे कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रशासन पर प्रभाव पड़ा है।

तालिका 3.3: कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रशासन के तहत गलतियों की उपश्रेणियाँ			(₹ करोड़ में)
उप श्रेणियाँ	संख्या	कर प्रभाव	राज्य
क. मूल्य हास/करोबार हानियों/पूँजीगत हानियों को अनुमत करने में अनियमितताएं	66	268.05	आंध्र प्रदेश, असम, चंडीगढ़ यूटी, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
ख. अनियमित छूट/कटौतियाँ/रियायत/राहत	36	338.42	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
ग. करोबार व्यय की गलत अनुमति	44	399.01	आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
<b>कुल</b>	<b>146</b>	<b>1,005.48</b>	

### 3.3.2 मूल्यहास और कारोबार/पूँजीगत हानियों के समंजन और अग्रोनयन की अनुमति में अनियमिततायें

हमने नीचे ऐसे चार निदर्शी मामले दिए हैं:

धारा 32(2)(बी) में उस निर्धारण वर्ष से आठ निर्धारण वर्षों तक अनावशोषित मूल्यहास के अग्रनीत और सामंजन का प्रावधान है जिसके लिए तथाकथित भत्ते की पहली बार गणना की गई थी।

**3.3.2.1 दिल्ली, सीआईटी-1 प्रभार में एओ ने अधिनियम के विशेष प्रावधानों के तहत ₹ 443.19 के बुक प्रॉफिट और लीज रेंट इक्वलाइजेशन प्रभार के संबंध में ₹ 121.67 करोड़ अनुमत न करने के बाद ₹ 125.83 करोड़ की हानि का निर्धारण करते हुए नवंबर 2011 में निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए **भारती इंफ्राटेल लिमिटेड** का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने अपनी संगणना सीट में ₹ 247.50 करोड़ की हानि निर्धारित की जिसमें ₹ 157.27 करोड़ का पिछला अग्रनीत अनावशोषित मूल्यहास और चालू वर्ष की ₹ 90.23 करोड़ की हानि शामिल थी। एओ ने इसे स्वीकार किया और मौजूदा ₹ 90.23 करोड़ के बजाए ₹ 247.50 करोड़ माना। एओ ने ₹ 31.44 करोड़ के अनावशोषित के उपयुक्त सेट ऑफ को अनुमत करते हुए 'शून्य' आय के बजाए ₹ 125.83 करोड़ की हानि निर्धारित की। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 125.83 करोड़ की हानि का अधिक निर्धारण हुआ और ₹ 53.45 करोड़ के संभावित कर प्रभाव वाले ₹ 31.44 करोड़ की अनावशोषित मूल्यहास का गलत**



अग्रेनयन हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति मान ली और सुधारात्मक कार्रवाई की (जनवरी 2013)।

धारा 73(4) में निर्धारण वर्ष जिसके लिए पहली बार हानि की गणना की गई थी, से संबंधित आगामी चार निर्धारण वर्षों तक अन्य काल्पनिक करोबार से आय तथा लाभ के प्रति काल्पनिक हानि अग्रेनीत करने तथा सेट-ऑफ करने का प्रावधान है।

**3.3.2.2 गुजरात, सीआईटी-।** अहमदाबाद प्रभार में एओ ने अग्रेनीत सेट-ऑफ और अनवशोषित मूल्यहास का संभजन अनुमत करते हुए शून्य आय पर दिसम्बर 2008 में संवीक्षा के पश्चात् निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिए **अदानी एगो प्राइवेट लिमिटेड** का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2006-07 में काल्पनिक करोबार से अर्जित उपलब्ध लाभ के प्रति निर्धारण वर्ष 2001-02 से संबंधित ₹ 9.54 करोड़ की अग्रेनीत काल्पनिक हानि का सेट-ऑफ किया और ₹ 80.16 करोड़ की काल्पनिक हानि अग्रेनीत की। जैसाकि काल्पनिक हानि चार नि.व. (इस मामले में नि.व. 2005-06 तक) अग्रेनीत करने और सैट-आफ करने योग्य नहीं है, ₹ 9.54 करोड़ का सेट-आफ और ₹ 8.16 करोड़ का अग्रेनयन सही नहीं है। इस गलती के कारण ब्याज सहित ₹ 4.28 करोड़ का घनात्मक कर प्रभाव और ₹ 26.98 करोड़ का संभावित कर प्रभाव सामने आया। आईटीडी ने धारा 263 के पठित धारा 143(3) के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की (सितम्बर 2011)।

धारा 72(3) में निर्धारण वर्ष जिसके लिए पहली बार हानि की गणना की गई थी, से संबंधित आठ आगामी निर्धारण वर्षों तक कारोबारी हानि के निर्धारण और सेट-ऑफ करने का प्रावधान है।

**3.3.2.3 पश्चिम बंगाल सीआईटी-IV** कोलकाता प्रभार में, एओ ने कारोबार से आय शीर्ष के तहत ₹ 66.40 करोड़ की हानि पर दिसम्बर 2011 में संवीक्षा के पश्चात निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए **जेसीटी लिमिटेड** का निर्धारण करते समय निर्धारण वर्ष 2001-02 से संबंधित ₹ 42.02 करोड़ के कारोबारी हानि अग्रेनीत करने की अनुमत दी। इस गलती के कारण ₹ 14.28 करोड़ के संभावित कर वाले ₹ 42.02 करोड़ की कारोबार हानि की अग्रेनीत करने की गलत अनुमति दी गई। आईटीडी ने धारा 154 के तहत गलती सुधार ली (जून 2012)।

धारा 32(1)(ii ए) में प्रभावी निर्धारित दरों पर 31 मार्च 2005 के बाद अधिग्रहीत और स्थापित नई मशीन अथवा संयंत्र (जहाज और एयरक्राफ्ट्स के अलावा) पर किसी वस्तु अथवा सामान के उत्पादन अथवा विनिर्माण के कारोबार से जुड़े निर्धारिती को अतिरिक्त मूल्यहास का प्रावधान है।

**3.3.2.4 तमिलनाडु सीआईटी-।** चेन्नई प्रभार में एओ ने जुलाई 2009 एवं फरवरी 2010 में क्रमशः ₹ 95.35 करोड़ और ₹ 123.77 करोड़ आय पर, निर्धारण वर्ष 2006-07 और निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए **मै. कस्तूरी एण्ड सन्स लिमिटेड** की संवीक्षा निर्धारण में संशोधन किया और संबंधित निर्धारण वर्षों में नए संयंत्र और मशीनरी पर ₹ 4.36 करोड़ और ₹ 13.39 करोड़ का अतिरिक्त मूल्यहास अनुमत किया। चूंकि निर्धारिती किसी वस्तु या सामान के उत्पादन या विनिर्माण के कारोबार से नहीं जुड़ा था, वह अतिरिक्त मूल्यहास का पात्र नहीं था। इस गलती के कारण ₹ 5.98 करोड़ के कर की कम उगाही हुई। आईटीडी ने धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की (दिसम्बर 2011) और धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए सुधारात्मक कार्रवाई आरंभ की।

### 3.3.3 अनियमित छूट/कटौतियाँ/रियायत/राहत

हमने नीचे दो निदर्शी मामले दिए हैं:

धारा 10 ए में वस्तुओं या सामानों अथवा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात से अर्जित आय और लाभ पर औद्योगिक उपकरणों को कटौती का प्रावधान है, बशर्ते वे निर्धारित शर्तें पूरा करते हों। इसके अलावा, धारा 92सी(4) के प्रावधान के अनुसार यदि आर्म्स लेंथ मूल्य (Arm's length price) के कारण कुल आय में वृद्धि होती है, बढ़ी हुई आय के संबंध में धारा 10ए के तहत कोई कटौती अनुमत नहीं की जाएगी।

**3.3.3.1 महाराष्ट्र सीआईटी-॥,** मुंबई प्रभार में एओ ने निर्धारिती द्वारा ₹ 658.70 करोड़ के दावे के प्रति धारा 10ए के तहत ₹ 578.70 करोड़ की कटौती अनुमत करने के बाद ₹ 128.05 करोड़ की आय पर फरवरी 2011 में संवीक्षा के पश्चात् निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए **टेक महिंद्रा लिमिटेड** का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने ब्रिटिश कम्युनिकेशन पीएलसी को ₹ 524.94 करोड़ की छूट का अग्रिम भुगतान किया और इसको लाभ और हानि खाते से डेबिट कर लिया। एओ ने मामले को ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर (टीपीओ) के पास भेज दिया जिसने पहुंच वाले मूल्य<sup>28</sup> (एएलपी) के तहत छूट

28 आर्म्स लेंथ मूल्य "एक ऐसा मूल्य है जो अनियंत्रित स्थिति में एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज के अलावा व्यक्तियों के बीच लेनदेन में लागू किया जाना था या लागू किया जाता है" [आयकर अधिनियम की धारा 92 एफ (II)]

भुगतान के समायोजन की सिफारिश की। एओ ने टीपीओ का आदेश मान लिया लेकिन इस आधार पर कुछ नहीं कहा कि छूट भुगतान की कथित राशि को निर्धारिती ने पहले ही अनुमत नहीं किया था। निर्धारिती ने अपनी गणना में अपवाद वाले मदों से पहले जैसे-टीपीओ द्वारा मना कर दिए गए विशेष छूट के अग्रिम भुगतान के लिए बढ़े हुए लाभ पर धारा 10ए के तहत कटौती का दावा किया था। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 153.95 करोड़ के कर की कम उगाही वाले ₹ 457.36 करोड़ की अधिक कटौती की अनुमति दी गई। आईटीडी ने धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की (मार्च 2013)।

**3.3.3.2** तमिलनाडु सीआईटी-III, चेन्नई प्रभार में एओ ने हैदराबाद की XIUS यूनिट के संबंध में धारा 10ए के तहत दिसम्बर 2008, फरवरी 2009 और दिसम्बर 2011 में क्रमशः ₹ 8.24 करोड़, ₹ 35.8 करोड़ और ₹ 8.94 करोड़ की कटौती अनुमत करते हुए संवीक्षा के पश्चात निर्धारण वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के लिए **मेगा सॉफ्ट लिमिटेड** का निर्धारण किया। हालांकि निर्धारण वर्ष 2005-06 (जनवरी 2008) में पारित संशोधन आदेशों के अनुसार हैदराबाद की XIUS यूनिट एक गैर-एसटीपीआई यूनिट थी। अतः निर्धारिती धारा 10ए के तहत कटौती का दावा करने का पात्र नहीं था। इसको अनुमति देने की चूक के परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 में क्रमशः ₹ 2.77 करोड़, ₹ 12.05 करोड़ और ₹ 2.36 करोड़ के कर की कम उगाही वाले ₹ 8.24 करोड़ ₹ 35.08 करोड़ और ₹ 8.94 करोड़ की अधिक कटौती की अनुमति दी गई। आईटीडी ने धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की (मार्च 2013) और धारा 148 के तहत निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिए सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की।

### 3.3.4 कारोबार व्यय की गलत अनुमति

हमने नीचे पाँच ऐसे निदर्शी मामले दिए हैं:

धारा 43 बी में कुछ व्यय के प्रति केवल तब कटौती दी जा सकती है जब पिछले वर्ष में आय का रिटर्न फाइल करने की निर्धारित तिथि तक इसका वास्तव में भुगतान किया गया हो।

**3.3.4.1** पश्चिम बंगाल, सीआईटी-III कोलकाता प्रभार में एओ ने ₹ 22.9 करोड़ की आय पर जनवरी 2010 में निर्धारण वर्ष 2005-06 के लिए **आईटीसी लिमिटेड** के संवीक्षा निर्धारण में संशोधनकरते समय लाभ और

हानि खाते में पहली बार किए गए दावे और तत्पश्चात वास्तविक भुगतान के आधार पर धारा 43बी के तहत क्लोजिंग स्टॉक पर आरोपित उत्पाद शुल्क से संबंधित ₹ 270.07 करोड़ की दोहरी कटौती अनुमत की। इस गलती के कारण ₹ 135.11 करोड़ के कर की कम उगाही हुई। आईटीडी ने गलती सुधार ली (मार्च 2013)।

**3.3.4.2** राजस्थान सीआईटी, उदयपुर प्रभार में एओ ने ₹ 4899.57 करोड़ पर दिसम्बर 2010 में संवीक्षा के पश्चात निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए **हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड** का निर्धारण करते समय अदा किए उत्पाद शुल्क के लिए ₹ 71.18 करोड़<sup>29</sup> के डेबिट शेष की कटौती अनुमत की। चूंकि ये राशियाँ पीएलए या सेनवेट क्रेडिट के माध्यम से अदा उत्पाद शुल्क की देयता के समायोजन के पश्चात् अग्रिम भुगतान की तरह थी, एओ को इसे अनुमत नहीं करना चाहिए था। इस गलती के कारण ₹ 24.19 करोड़ के कर प्रभाव वाली ₹ 71.18 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी ने यह कहते हुए लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया कि निर्धारिती ने भुगतान के आधार पर धारा 43बी के तहत कटौती का दावा किया और दोहरी कटौती रोकने के लिए आय की गणना में बाद के वर्ष में इसको वापस जोड़ दिया। उत्तर इस आधार पर तर्कसंगत नहीं है कि धारा 43 बी इस मामले में लागू नहीं थी, क्योंकि निर्धारिती ने “नेट बेसिस” लेखांकन प्रणाली अपनायी था।

धारा 37(1) में कारोबार या व्यवसाय की आय और लाभ शीर्ष के तहत प्रभार्य आय की गणना करते समय कारोबार व्यय की अनुमति का प्रावधान है। धारा 40(ए)(i) में निर्धारिती द्वारा किए गए हैं और लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित, किसी भी व्यय जिस पर स्रोत से कर की कटौती नहीं की गई हो, को अनुमति न देने का प्रावधान है।

**3.3.4.3** आंध्र प्रदेश सीआईटी-III, हैदराबाद प्रभार में एओ ने ₹ 63.49 करोड़ की आय पर नवम्बर 2008 में संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिए **वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड** का अंतिम रूप से निर्धारण करते समय असाधारण व्यय<sup>30</sup> के प्रति ₹ 43.89 करोड़ अनुमत किया जिस पर बाहरी निविदागत निर्माताओं (ओसीएमज़) को भुगतान किए जाने का दावा किया गया था। चूंकि ₹ 12.69 करोड़ ब्याज की राशि का वास्तव में (ओसीएमज़) भुगतान नहीं किया गया था और ओसीएमज़ को अदा किए गए

29 पूंजीगत माल पर अदा उत्पाद शुल्क के संबंध में ₹ 48.40 करोड़, पीएलए के माध्यम से अदा किए गए उत्पाद शुल्क के संबंध में ₹ 10.58 करोड़ और आरजी 23 ए एवं सी के माध्यम से अदा किए गए उत्पाद शुल्क के संबंध में ₹ 12.20 करोड़।

30 ₹ 43.89 करोड़ के असाधारण व्यय में ₹ 31.20 करोड़ का उत्पाद शुल्क तथा ₹ 12.69 करोड़ का ब्याज शामिल था जिसकी ओसीएमज़ को क्षतिपूर्ति की गई थी।

₹ 31.20 करोड़ की राशि पर स्रोत से कर की कटौती नहीं की गई थी, दोनों दारों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। इस गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 19.35 करोड़ के कर के कम उगाही वाली ₹ 43.89 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी ने धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की (जून 2011)।

धारा 195 में निर्धारित दरों पर अप्रवासी या एक विदेशी कम्पनी को ब्याज के भुगतान या किसी अन्य राशि के भुगतान से स्रोत पर कटौती का प्रावधान है। धारा 44 बी में अप्रवासी निर्धारिती के शिपिंग कारोबार की आय और लाभ की गणना करने का प्रावधान है।

**3.3.4.4** तमिलनाडु सीआईटी-III, चेन्नई प्रभार में एओ ने ₹14.86 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2010 में संवीक्षा के पश्चात निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए **पुमपुहार शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड** का निर्धारण करते हुए 'चार्टर हायर पेमेंट्स' के लिए निर्धारण वर्ष 2007-08 और निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए क्रमशः ₹ 305.51 करोड़ और ₹ 440.79 करोड़ की कटौती अनुमत किया। चूंकि 'विदेशी मुद्रा में चार्टर हायर पेमेंट्स' के प्रति निर्धारण वर्ष 2007-08 और निर्धारण वर्ष 2008-09 से संबंधित ₹ 23.47 करोड़ की राशि पर धारा 195 के तहत कर की कटौती नहीं की गई, दोनों भुगतानों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, धारा 44 बी के तहत डीमड आय के रूप में ₹ 1.76 करोड़ (₹ 23.47 करोड़ का 7.5 प्रतिशत) और ₹ 1.77 करोड़ (₹ 23.62 करोड़ का 7.5 प्रतिशत) कर लगाया जाना चाहिए था। इस चूक के कारण ₹ 17.38 करोड़ कर की कम उगाही हुई। आईटीडी ने धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की (मार्च 2013)।

धारा 36(1)(viii) में एक विनिर्दिष्ट सत्व द्वारा गठित और अनुरक्षित विशेष रिजर्व के संबंध में, बैंकिंग कम्पनी के रूप में एक निर्धारिती को भारत में बुनियादी सुविधा के औद्योगिक या कृषि संबंधी विकास के लिए दीर्घकालिक कारोबार से होने वाले लाभ से 20 प्रतिशत तक की राशि की कटौती का प्रावधान है।

**3.3.4.5** कर्नाटक सीआईटी, मैंगलोर प्रभार में एओ ने अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के तहत ₹ 118.20 करोड़ की कटौती अनुमत करते हुए ₹ 1592.96 करोड़ की आय पर फरवरी 2012 में संवीक्षा के पश्चात निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए **कोर्पोरेशन बैंक** का निर्धारण पूरा किया। चूंकि निर्धारिती के पास वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए ₹ 78.0 करोड़ का विशेष रिजर्व सृजित था, यह केवल सृजित रिजर्व तक कटौती का पात्र था। अधिक कटौती अनुमत करने के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 16.81 करोड़ के कर की कम उगाही

वाली ₹40.20 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति मान ली (मार्च 2013) और सुधारात्मक कार्रवाई की।

### 3.4 चूकों के कारण निर्धारण से छुटी हुई आय

3.4.1 अधिनियम में प्रावधान है कि किसी पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति की आय में किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न, वस्तुतः प्राप्त अथवा उदभूत अथवा प्राप्त अथवा उदभूत के रूप में मान्य आय शामिल होगी। हमने देखा कि निर्धारण अधिकारी ने कुल आय का निर्धारण नहीं किया/कम निर्धारण किया जिस पर कर लगाया जाना था। तालिका 3.4 निर्धारण से बचने वाली आय की उप श्रेणियाँ दर्शाती है।

तालिका 3.4: चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय के तहत गलतियों की उप-श्रेणियाँ			(₹ करोड़ में)
उप-श्रेणियाँ	संख्या	टीई	राज्य
क. विशेष प्रावधान के तहत अनिर्धारित /कम निर्धारित आय	17	94.78	आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
ख. सामान्य प्रावधान के तहत अनिर्धारित/कम निर्धारित आय	15	136.80	दिल्ली, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
ग. पूँजीगत आय का गलत वर्गीकरण और गणना	4	20.22	कर्नाटक और महाराष्ट्र
<b>कुल</b>	<b>36</b>	<b>251.80</b>	

### 3.4.2 विशेष प्रावधानों के तहत अनिर्धारित/कम निर्धारित आय

हमने नीचे ऐसे दो निदर्शी मामले दर्शाए हैं:

धारा 115 जेबी में बुक प्रॉफिट की निर्धारित प्रतिशतता पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) की उगाही का प्रावधान है, यदि सामान्य प्रावधानों के तहत देय कर एमएटी से कम हो। वित्त अधिनियम 2009 के अनुसार, पूर्वव्यापी धारा में संशोधनकर दिया गया है कि परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी का प्रावधान बुक प्रॉफिट की गणना करते समय वापस जोड़ा जाएगा।

3.4.2.1 महाराष्ट्र सीआईटी-II, मुम्बई प्रभार में एओ ने सामान्य प्रावधानों के तहत ₹51.28 की आय पर तथा विशेष प्रावधानों के तहत ₹170.89 करोड़ के बुक प्रॉफिट पर मार्च 2010 में निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए देना बैंक के निर्धारण को संशोधित किया (शुरूआत में सामान्य प्रावधानों के तहत ₹689.54 करोड़ की आय पर तथा विशेष प्रावधानों के तहत ₹594.53 करोड़

के बुक प्रॉफिट पर दिसम्बर 2009 में संवीक्षा के पश्चात संपन्न)। बुक प्रॉफिट की गणना करते समय एओ ने गैर निष्पादन परिसम्पत्तियों, मानक परिसम्पत्तियों के निवेश में कमी, भिन्न कर देयता और प्रीमियम पर ऋणमुक्ति जैसी विभिन्न परिसम्पत्तियों के मूल्य में कमी के प्रति आहरित कुल ₹ 498.58 करोड़ के प्रावधानों को वापस नहीं जोड़ा। इस गलती के कारण धारा 243डी के तहत ब्याज सहित ₹ 57.50 करोड़ के कर की कम उगाही हुई। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया (अगस्त 2010)।

**3.4.2.2 पश्चिम बंगाल सीआईटी-II** कोलकाता प्रभार में एओ ने अधिनियम के विशेष प्रावधानों के तहत ₹ 239.75 करोड़ की आय पर निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड** का निर्धारण पूरा करते समय 'असमाप्त जोखिम हेतु रिजर्व' के लिए ₹ 87.79 करोड़ का दावा अनुमत नहीं किया, लेकिन इसको बुक प्रॉफिट में नहीं जोड़ा। इस गलती के कारण ₹ 12.64 करोड़ के कर की कम उगाही हुई। आईटीडी ने धारा 147 और 251 के तहत गलती सुधार ली (मार्च 2013)।

### 3.4.3 सामान्य प्रावधानों के तहत अनिर्धारित/कम निर्धारित आय

हमने नीचे दो ऐसे निदर्शी मामले दिए हैं:

धारा 5 में प्रावधान है कि किसी पिछले वर्ष के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय में किसी भी स्रोत से ली गई समस्त आय, जो प्राप्त होती है या प्राप्त हुई मानी जाती है अथवा जो ऐसे पिछले वर्षों के दौरान अर्जित होती है या प्राप्त होती है, शामिल होगी जब तक कि वह अधिनियम के प्रावधानों के तहत कर से विशेष रूप से छूट प्राप्त न हो।

**3.4.3.1 तमिलनाडु सीआईटी एलटीयू, चेन्नई** प्रभार में एओ ने ₹ 1427.71 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2009 में संवीक्षा के पश्चात निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए **नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन** का निर्धारण करते समय बकाया बिलों के भुगतान में विलम्ब के लिए विद्युत बोर्ड से वसूली योग्य ₹ 118 करोड़ की अधिभार आय का निर्धारण नहीं किया। निर्धारिती शीघ्र भुगतान करने के लिए तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (टीएनईबी) को प्रोत्साहन दे रहा था जिसका व्यय के रूप में दावा किया गया था। इसी प्रकार, शीघ्र भुगतान को प्रभावित करने के लिए विद्युत बोर्ड से वसूलीयोग्य अधिभार को आय के रूप में माना जाए। ₹ 118 करोड़ के अधिभार आय का निर्धारण करने में चूक के कारण ₹ 39.72 करोड़ के कर की कम उगाही हुई। आईटीडी ने गलती स्वीकार की और धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत सुधार किया (मार्च 2013)।

धारा 145 में प्रावधान है कि एक निर्धारिती की कारोबार या व्यवसाय से आय की गणना निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से अपनायी जाने वाली लेखांकन पद्धति के अनुसार की जाएगी।

**3.4.3.2 ओडिशा सीआईटी, सम्बलपुर प्रभार में एओ ने ₹ 2,778.87 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2011 में संवीक्षा के पश्चात निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए महानदी कोलफील्ड्स का निर्धारण किया जिसका बाद में मार्च 2012 में ₹ 2,763.73 की आय पर धारा 154 के तहत सुधार किया गया।** लेखाओं पर टिप्पणियों के अनुसार प्रत्येक खदान के लिए क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन लागत अथवा शुद्ध वसूलीयोग्य जो भी कम हो, पर किया गया था। कर लेखापरीक्षक द्वारा 'समेकित गुप के रूप में कच्चे कोयले के मूल्य' के रूप में प्रमाणित ₹ 466.89 करोड़ के बजाए ₹ 414.41 करोड़ पर कच्चे कोयले के क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन किया गया था। निर्धारिती के एकल सत्व होने के कारण एक समान लेखांकन प्रणाली इसके सभी खदानों पर लागू होती थी। इस गलती के कारण ₹ 17.84 करोड़ के कर की कम उगाही वाले ₹ 52.48 करोड़ की क्लोजिंग स्टॉक का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की (अक्टूबर 2011)।

#### 3.4.4 पूँजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और गणना

हमने नीचे एक निदर्शी मामला दिया है:

धारा 50 बी में पूँजीगत अभिलाभ (बिक्री प्रतिफल से घटाएं उपक्रम का निवल मूल्य) के रूप में एकमुश्त बिक्री से उदभूत लाभ या किसी लाभ की करदेयता का प्रावधान है। अभिलाभ की प्रकृति उपक्रम की स्वामित्व अवधि (दीर्घकालिक, यदि उपक्रम का स्वामित्व 36 महीनों से अधिक रहता है) द्वारा निर्धारित की जाती है।

**3.4.4.1 महाराष्ट्र सीआईटी, सेंट्रल-II, मुम्बई प्रभार में एओ ने अधिनियम के विशेष प्रावधानों के तहत ₹ 4.06 करोड़ के बुक प्रॉफिट और सामान्य प्रावधानों के तहत शून्य आय पर दिसम्बर 2009 में संवीक्षा के पश्चात निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए ऑरिकन इंटरप्राइजेज़ लिमिटेड का निर्धारण किया।** निर्धारिती ने ₹ 10 प्रति सहायक यूनिट के अंकित मूल्य वाले ₹ 29.50 लाख की पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों के बदले में अपनी सहायक यूनिट, ओरिएंटल कंटेनर्स लिमिटेड(पूर्व में ऑरिकन पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड के रूप में ज्ञात) को एकमुश्त बिक्री के तहत अपना डिवीजन स्थानांतरित कर दिया। खाता बहियों के अनुसार इक्विटी शेयरों का मूल्य ₹ 27.62 करोड़ था और पैकेजिंग डिवीजन का निवल मूल्य ₹ (-)24.40 करोड़<sup>31</sup> था। दीर्घकालिक पूँजीगत

31 (-) ₹ 24.40 करोड़ = ₹ 127.40 करोड़ - (-) ₹ 151.80 करोड़



अभिलाभ (एलटीसीजी)की गणना करते समय एओ ने ₹ 27.62 करोड़ के बजाए ₹ 2.95 करोड़ का पूरा मूल्य स्वीकार कर लिया और 52.02 करोड़ (₹ 27.62 करोड़ (-) ₹ 24.40 करोड़) के बजाए ₹ 2.95 करोड़ एलटीसीजी आँकलित किया। इसके कारण ₹ 11.01 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 49.06 करोड़ द्वारा एलटीसीजी की कम गणना हुई। आईटीडी ने एलटीसीजी के तहत (-) ₹ 24.40 करोड़ वापस जोड़ते हुए धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की (मार्च 2013)। हालांकि ₹ 27.62 करोड़ के प्रदत्त इक्विटी शेयरों का मानाने की कार्रवाई लंबित है जैसा कि बैलेंस शीट में दर्शाया गया था।

### 3.5 कर/ब्याज का अधिक प्रभार

**3.5.1** हमने देखा कि आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एओ ने ₹ 162.06 करोड़ के कर के अधिक प्रभार वाले 28 मामलों में आय का अधिक निर्धारण किया। हमने नीचे दो ऐसे निदर्शी मामले दिए हैं:

धारा 143(3) में प्रावधान है कि एओ को आय का सही निर्धारण और मूल्यांकन करना चाहिए। रिटर्न के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों, अभिलेखों, लेखाओं के साथ संवीक्षा निर्धारणों में विभिन्न प्रकार के दावों की विस्तार से जाँच की जानी चाहिए।

**3.5.1.1** पश्चिम बंगाल सीआईटी, आसनसोल में एओ ने ₹ 894.67 करोड़ की अग्रेनीत हानि का मुजरा अनुमत करते हुए दिसम्बर 2010 में संवीक्षा के पश्चात निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए **ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड** का शून्य आय पर निर्धारण किया। निर्धारिती ने छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान के कारण ₹ 1.05 करोड़ की प्रदत्त देयता का दावा किया और छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान की अप्रदत्त देयता के लिए ₹ 122.35 करोड़ वापस जोड़ दिए। हालांकि निर्धारिती की करयोग्य आय की गणना करते हुए एओ ने दुबारा ₹ 123.40 करोड़ की प्रावधान राशि को वापस जोड़ दिया। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 41.94 करोड़ का संभावित अधिक कर लगाया गया।

धारा 234 बी में प्रावधान है कि यदि एक निर्धारिती ने कर का अग्रिम भुगतान करना है और यदि उसने ऐसे कर का भुगतान नहीं किया या यदि उसके द्वारा भुगतान किया गया कर निर्धारित कर के 90 प्रतिशत से कम हो तो वह 1 प्रतिशत प्रतिमाह या महीने के भाग की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करेगा।

**3.5.1.2** दिल्ली सीआईटी, एलटीयू प्रभार में एओ ने ₹ 892.02 करोड़ की आय पर नवम्बर 2011 में संवीक्षा के पश्चात निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए **महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड** के निर्धारण की गणना करते समय, निर्धारिती के क्रेडिट पर ₹ 165 करोड़ के अग्रिम कर और ₹ 152.75 करोड़ के टीडीएस पर ध्यान दिये बिना धारा 234बी के तहत ₹ 22.81 करोड़ ब्याज की वसूली की। चूंकि निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया अग्रिम कर निर्धारित कर के 90 प्रतिशत से अधिक है, धारा 234 बी के तहत ब्याज नहीं वसूला जा सकता। इस गलती के कारण ₹ 22.81 करोड़ का अधिक ब्याज लगाया गया। आईटीडी ने धारा 154 के तहत गलती सुधार ली (दिसम्बर 2012)।